संख्या२०५ भू0कय/18(1)/2008

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 10 जुलाई, 2008

विषयः—मै0 जे0 पी0 टेक्नोप्लास्ट प्रा0 लि0 को औधोगिक प्रयोजन हेतु तहसील हरिद्वार के ग्राम पदार्था उर्फ धनपुरा में कुल 0.515 है0 भूमि कय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 71/भूमि व्यवस्था—भू0क0—VIII दिनांक 23—02—2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 जे0 पी0 टेक्नोप्लास्ट प्रा0 लि0 को औधोगिक प्रयोजन की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील हरिद्वार के ग्राम पदार्था उर्फ धनपुरा में गाटा/ख0सं0— 58 रकबा 0.266 है0, गाटा/ख0सं0—60 रकबा 0.249 है0 कुल 0.515 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप मे अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (थर्मोप्लास्टिक हाऊस होल्ड आईटम्स एवं इण्डस्ट्रियल कम्पोनेट एण्ड ओटो मोबाईल पार्टस विनिर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

.......(2)

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। उक्त अवधि के भीतर प्रस्तावित योजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।

7– इकाई का उत्पाद " थर्मोप्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स एण्ड इण्डस्ट्रियल कम्पोनेट एण्ड आटो मोबाइल्स पार्ट्स" भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 में थ्रस्ट क्रिया कलापों में सम्मिलित नहीं है। अतः आवेदक के प्रस्तावित उद्योग के उत्पाद पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज यथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व आयकर में छूट तथा केन्द्रीय पूँजी निवेश राज सहायता का लाभ राज्य सरकार द्वारा क्रय की गयी भूमि को घोषित औद्योगिक क्षेत्र /आस्थान के रूप में विनियमित किये जाने पर ही अनुमन्य होगा।

8– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तन कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/ मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/ मानकों एवं भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग "थर्मोप्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स एण्ड इण्डस्ट्रियल कम्पोनेन्ट एण्ड आटो मोबाइल्स पार्ट्स " विनिर्माणक उद्योग की स्थापना के लिये ही किया जायेगा।

.....(3)

10– इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, तथा अग्निशमन विभाग से नियमानुसार स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

11– प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

12– प्रश्नगत स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रस्तावित इकाई की स्थापना के संदर्भ में वर्तमान में अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है।

13– किसी दशा में केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

14– भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– इकाई की स्थापना के पूर्व उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वांछित विधिक एवं अन्य अनापत्तियां /अनुज्ञायें/प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार प्राप्त कर लिये जायेंगे।

16– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

.....(4)

4– सचिव, श्रम एंव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
7– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2–न्यूकैन्ट रोड़, सिडकुल, देहरादून।
8– श्री जगदीश प्रकाश, जनरल मैनेजर, जे0 पी0 टेक्नोपलास्ट प्रा0 लि0, नि0– 76ए/डी 6 से0 6, ग्राम शाहबाद दौलतपुर, दिल्ली।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।